न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 33/2018 अपील (राजस्व)

1. श्री लोगर पिता श्री गुलाब मेघवाल निवासी मुरडिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलार्थी

बनाम

1. पेमा पिता श्री उंकार गुर्जर, निवासी मुरडिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.05.2015 प्रकरण संख्या 02/14 विविध (धारा 183 बी आर टी एक्ट) न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)

उपस्थितः— श्री के.आर.मेघवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1
श्री मनोज कुमार पंवार, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 11.11.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मुरडिया पटवार हल्का तारावट तहसील वल्लभनगर के आराजी सं. 118/2 रकबा 7 बिस्वा लगानी 0.92 रूपया होकर वर्तमान में खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी गुलाब पिता तारीया मेघवाल के निधन हो जाने से जरिये नामान्तकरण सं. 440 विरासत से अपीलार्थी के नाम अंकित हुई। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी एकमात्र खातेदार होकर किसी अन्य का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी के बिमार हो जाने, आने जाने में असक्षम होने से उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को दिनांक 19.07.2012 को एक साल की अवधि के लिये सिजारे पर दी थी। जिसमें पैदावार का आधा हिस्सा देने की बात हुई थी। लेकिन 2013 में रेस्पोडेन्ट ने आधा हिस्सा नहीं दिया पूछने पर बताया कि अब सिजारा नहीं रखना चाहता हूॅ एवं 2014 में बुवाई नही करूंगा। दिनांक 07.11.14 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 आया और जबरन अपीलार्थी के खेत में मवेशी घुसा कर घास को नष्ट कर रहा था। मना करने पर लडाई

झगडा, गाली गलोच पर उतारू हुआ व जमीन पर कब्जा कर लिया। अपीलार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 सामान्य वर्ग का सदस्य है। अतिक्रमण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर अपने प्र.सं. 02/14 निर्णय दिनांक 21.05.15 से यह कहते हुए खारीज कर दिया कि इस न्यायालय के पूर्व प्र.सं. 09/91 धारा 183बी निर्णय दिनांक 12.08.92 में फेरबदल करना उचित नहीं है। इसलिए इस अधिनियम के तहत प्रार्थी को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। जबकि वर्तमान में अपीलार्थी खातेदार काश्तकार होकर लगान जमा कराता आ रहा है। अपीलार्थी अनुसूचित जाती का सदस्य होकर रेस्पोडेन्ट स्वयं द्वारा अनुसूचित जाति की भूमि पर अपने कब्जे का अंकन कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी को उसकी खाते की भूमि 118/2 दिलायी जावें।

अपील मेमो के साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी कानून से अनभिज्ञ होने से नियत अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया। दिनांक 15.03.18 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक नकले लेकर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा कराने का आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार जी ओस्तवाल उपस्थित। जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई ।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 का दिनांक 23.09.19 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में आराजी नं. 118/2 का रकबा 7 बीस्वा ही अंकित किया गया है जबकि वास्तविक रकबा 17 बिस्वा है। अतः कृपया 7 बिस्वा के स्थान पर 17 बिस्वा अंकन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

अपील पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसके खातेदारी भूमि 118/2 जो वर्तमान में अपीलार्थी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को सिजारे पेटे दी गई थी। परन्तु उक्त जमीन में अपीलार्थी द्वारा 2013 में काश्त का आधा हिस्सा नहीं दिया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट को पुछने पर उसके द्वारा बताया गया कि अब में सिजारे पर काश्त नहीं करना चाहता हूँ। परन्तु दिनांक 07.11.14 को अपीलार्थी अपने खेत पर गया तो रेस्पोडेन्ट सं. 1

द्वारा आकर अपनी मवेशिया खेत के अन्दर घूसाकर चारे को नष्ट करने पर आमादा हो गया । मना करने पर लडाई झगडा व गाली गलोच किया व भूमि पर कब्जा कर लिया। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली दर्ज कर रेस्पोडेन्ट से जवाब चाहा गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 118/2 रकबा 17 बिस्वा तारा पिता भेरा मेघवाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज थी और कब्जे की भूमि के पडौस इस प्रकार है कि पूर्व में हिराजी व रामा जी की बीडकी, पश्चित राजपूत तखतसिंह जी व भेरूसिंह जी का खेत, उत्तर में पेमा तिपा उकार का खेत, दक्षिण में नदी है। जवाब में अंकित किया है कि उक्त जमीन उक्त पडोस के बीच की जमीन दिनांक 10.05.1952 को खातेदार तारा पिता भेरा मेधवाल द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता उंकार पिता मोती को 100/– के प्रतिफल कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त कृषि भूमि उंकार पिता मोती एवं उंकार के निधन के उपरान्त रेस्पोडेन्ट व उसके परिवार का कब्जा चला आ रहा है। यह भी निवेदन किया कि 15.05.91 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध धारा 183बी आर.टी.ए के तहत पेश किया जो खारीज हुआ। जब रेस्पोडेन्ट आराजी सं. 118/2 एवं 329 दोनो ही जमीन को हडपना चा रहा है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा आराजी नं. 118/2 को ही विक्रय होना बता रहा है। आराजी सं. 329 को गलत रूप से खाते करवा ली गई है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जो विक्रय इकरार पेश किया गया है वह दिनांक 10.05.1952 का है । उक्त इकरार नामे के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपना कोई हक अधिकार नहीं रखता है। उक्त इकरार नामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार घोषित नहीं हुआ है। कब्जे के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र खारीज किया गया वह धारा 41 व 42 के सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त इकरार नामे में आराजी सं. 329 का ही विक्रय इकरार होना बताया है परन्तु आराजी ंस. 118/2 को जबरन हडपना चाहा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से मिलीभगत कर आदेश पारित किया गया है जिसकी शिकायत भी राजस्व मण्डल को की गई। जिसे स्वीकार करते हुए श्रीमान को जांच हेतु लिखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी सं. 118/2 पर किया गया कब्जा विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर उक्त आराजी का कब्जा सिपुर्द कराये जाना फरमावे।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार मावली के न्यायालय में धारा 183बी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे मेरिट पर सुनने के बाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.14 को खारीज कर दिया गया।

इसके पूर्व में भी एक प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 09/91 होकर निर्णय दिनांक 12.08.92 को खारीज कर दिया गया था। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का विगत कई वर्षो से यानि की टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है और उक्त कब्जा विक्रय के आधार पर चला आ रहा हैं जिसमें अपीलार्थी के पूर्वज तारा पिता भेरा मेघवाल द्वारा उंकार पिता मोतीजी गुर्जर को उपरोक्त आराजीयात बेह की थी। तब से रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर पूर्व में निर्णय किया जा चुका है। उन्ही आधारों पर पुनः सुनवाई नहीं हो सकती है। अपीलार्थी धारा 11 सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों से बाधित है। अपीलार्थी इस अपील में विधिक रूप से एवं तथ्यों के आधार पर भी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये। प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहन अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली 2/14 विविध पर उपलब्ध दस्तावेज जो कि अपीलार्थी के पूर्वज तारा पिता भेरा मेघवाल द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पूर्वज उंकार पिता मोती जी गुर्जर के मध्य हुए बेह दस्तावेज जो की संयुक्त राजस्थान सरकार के स्टाम्प 37312 पर दिनांक 10.12.1952 से सम्पादित हुआ। उक्त बेह दस्तावेज में वर्ष 1952 को तारा पिता भैरा मेघवाल द्वारा उसकी खातेदारी आराजी नं. 329 की भूमि बेचान 100/– के स्टाम्प पर किया जाना बताया है। इस अनरजिस्टर्ड बेहनामे के अनुसार राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण सं. 46 दिनांक 12.12.52 का प्रमाणितशुदा है। उस दिन से लेकर आज तक आराजी नं. 329 उंकार पिता मोती गुर्जर के नाम पर दर्ज है।

तहसीलदार वल्लभनगर के प्र.सं. 08/91 निर्णय दिनांक 12.08.92 में स्वतः ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा कि बेहनामा में दिये गये चारो दिशायें आराजी नं. 118/2 की ही बतायी गई है। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 पेमा पिता उंकार गुर्जर के पिता उंकार पिता मोती गुर्जर का कब्जा चला आ रहा है। और मात्र इसी बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने उक्त आदेश से तत्कालीन प्रार्थी गुलाब पिता तारीया मेघवाल का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को पूर्ण रूप से विधि के परे पारित किया क्योंकि तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है कि वह लिखित बेहनामा को अपने स्तर पर बदल सके। फिर भी इस तथ्य को सही मानते तो उक्त निर्णय सक्षम स्तर पर कराने व नामान्तकरण सं. 46 में भी संशोधन कराते जो नहीं किया गया। परिणामस्वरूप इस आदेश के चलते रेस्पोडेन्ट सं. 1 को दोनो खसरा नं. 329 व 118/2 का अधिकार मिल गया।

जबकि आराजी नं. 118/2 आज भी अपीलार्थी के नाम पर बोल रहा है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा इस बात को नजरअंदाज किया गया है कि बेहनामा 100/– का होने के बावजूद भी अनरजिस्टर्ड है एवं उसका कियान्वयन किया जाना नियम अनुसार है अथवा नहीं।

इसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा पुनः एक प्रार्थनापत्र न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के समक्ष दिनांक 24.11.14 का दिनांक 03.12.14 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्र.सं. 2/14 विविध दर्ज किया जाकर अपने आदेश दिनांक 21.05.15 को पुनः पुर्व के आदेश दिनांक 12.08.92 के तर्क को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र को खारीज कर दिया। उक्त आदेश में भी उपरोक्त विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आराजी नं. 118/2 अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के बावजूद कब्जा प्राप्त नहीं कर पा रहा है एवं रेस्पोडेन्ट के खाते आ.नं. 329 दर्ज है व आ.नं. 118/2 पर कब्जा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा यह तर्क किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व का कब्जा होने के कारण धारा 183बी लागू नहीं होती है। परन्तु यह तर्क इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आराजी नं. 118/2 आज भी अपीलार्थी के खाते दर्ज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दस्तावेज के आधार पर कब्जा बताया जा रहा है वह दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होकर आराजी नं. 329 का ही बेचान का उल्लेख है और खसरा सं. 118/2 का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी आराजी नं. 118/2 का कब्जा पुनः प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 02/14 विविध निर्णय दिनांक 21.05.15 को खारीज किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर को पुनः प्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी व सी के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलार्थी को उसकी खातेदारी भूमि का कब्जा नियमानुसार दिलाया जावे।

निर्णय की प्रति एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.17 11:24:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: